संख्या-17/2018/3387/26-3-2017

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 25 जनवरी, 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्ववर्ती नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) के मानक मद-09-विद्युत देय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2407/स.क./लेखा-बजट/ज.प्र.ना.सर्वो.वि./2017-18 दिनांक-06.12.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गयी आख्या/ प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2225-01-789-12-00-09-विद्युत देय के लिये भुगतान मद में धनराशि रूपया-320.00 लाख (रूपया तीन करोड बीस लाख मात्र) को अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-12-00-01-वेतन मद में उपलब्ध धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं-

1-उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

2-उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

3-स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-00-09-विद्युत देय के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ भाग-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/2018/3387(1)/26-3-2017तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2-महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) उ0प्र0इलाहाबाद।

3-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।

5-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)

7-वित्त नियत्रंक, समाज कल्याण

8-निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

9-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

10-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) वित्तीय वर्ष 2017–18 (रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–12–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–00–01–वेतन	1121.88	500.00	320.00	320.00	801.88
योग	**1121.88**	**500.00**	**320.00**	**320.00**	**801.88**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–12–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–00–09–विद्युत देय	52.00	372.00	320.00	320.00	372.00
योग	**52.00**	**372.00**	**320.00**	**320.00**	**372.00**

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– आवश्यकता के अनुसार बचत है।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है– मानक मद में राज्य सरकार की बचनबद्ध देयता के सापेक्ष कम बजट प्राविधान/धनराशि कम पड़ने के कारण उक्त धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0– 199 /दस–2017 दिनांक 19 जनवरी ,2018

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या–17 /2018/ 3387 (1)/26–3–2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2–महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) उ0प्र0इलाहाबाद।
3–निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4–मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
6–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7–वित्त नियत्रंक, समाज कल्याण
8– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
9– समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
10– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।